न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 17 / 2003 / डूंगरपुर

उप–वन संरक्षक डूंगरपुर जरिये प्रभारी अधिकारी सहायक वन संरक्षक, डूंगरपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती वाली पत्नि गौतम लाल रोत आदीवासी निवासी हिराता तहसील व जिला डूंगरपुर

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.पी.ओझा, अभिभाषक अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 09–12–25

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील सं. 72 / 01 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट / वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध अपीलान्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर डूंगरपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम चक सरकण की आराजी नं. 345, 363, 344 व 374 बिलानाम सरकार भूमि है तथा वादीया रेस्पोडेंट इन खसरों में सोपस्टोन माईंन्स लगाना चाहती है। इस बाबत् वादीया ने सहायक अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग से उक्त प्रयोजन हेतु अनुमति चाही है। वादीया द्वारा अपीलार्थी वन विभाग को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर डूंगरपुर ने दावे एवं जवाबदावें के आधार पर वादी रेस्पोडेंट का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं आने पर खारिज कर

दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–02 द्वारा प्रत्यर्थी वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर वाद डिक्री कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–4–02 से व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत है। विवादित अराजी राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है जिस पर वादीया प्रत्यर्थी को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते और ना ही वह अपीलार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा सकती है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी भी प्रावधान एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित वादों की प्रकृति में नहीं आता है। धारा 188 के तहत केवल काबिज खातेदार कृषक ही वाद ला सकता है जबकि मौजूदा प्रकरण में प्रत्यर्थी ना तो आराजी का खातेदार काश्तकार है, ना ही उपकृषक है इसलिये वाद राजस्व न्यायालय में संधारणीय नहीं था। वादग्रस्त भूमि वनक्षेत्र की भूमि नहीं है। राजस्व विभाग को एनओसी जारी करने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दायरे में नहीं आने से वाद खारिज किया था। अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी वन विभाग के खाते में नहीं होना मानकर प्रथम अपील को स्वीकार कर वाद को डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट /वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर डूंगरपुर ने ग्राम चक सरकण की आराजी नं.

345, 363, 344 व 374 बिलानाम सरकार भूमि मानते हुये तथा रेस्पोडेंट का वाद व अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं आने पर खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट वादीया ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–02 द्वारा प्रत्यर्थी वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर वाद डिक्री कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–4–02 से व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 345, 363, 344 व 376 राजकीय बिलानाम भूमि है। वादीया द्वारा वादपत्र के जरिये चाही गई दादरसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की किसी धारा में सन्निहित नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से हटकर वांछित दादरसी को स्वीकार करने में राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं होने की स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीया द्वारा खान विभाग से अनुमति चाही गई थी किंतु उसे विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया। वादीया विचारण न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करने में असफल रही कि बिलानाम सरकारी भूमि के बारे में चाही गई दादरसी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा किस प्रकार की प्रदान की जा सकती है।

6– प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी वन विभाग की न होने तथा राजस्व रिकार्ड में बिला नाम सरकार की दर्ज होना अपने निर्णय में अंकित किया है तथा उक्त खसरों पर सोपस्टोन खादान के लिये भूमि लीज पर लेने के लिये प्रस्तुत आवदेन एवं शपथ पत्र को आधार बनाते हुये वादीया की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत खारिज किया है। उपर्युक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खंडपीठ के विनम्र मत में योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–02 द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर डूंगरपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–4–01 अपास्त करने में विधि एवं तथ्य सबंधी सारभूत त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–02 समर्थन योग्य नहीं होने से अपास्त की जाकर हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—4—02 को निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16—4—01 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष